प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 952/2003

अपीलार्थी - मुकेश कुमार, पिता बल्दाऊ, जाति लोधी, आयु 21 वर्ष, निवासी ग्राम बरगा, थाना खम्हरिया, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी - छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना खम्हरिया, जिला दुर्ग (छ.ग.)

.....

उपस्थित:

सुश्री निरूपमा बाजपेयी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता, राज्य की ओर से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

मौखिक निर्णय

(24.05.2007)

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

सुना गया।

यह अपील पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 128/2002 में दिनांक 02.04.2003 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 363, 366 एवं 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया तथा उसे भा.दं.सं. की धारा 366 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, तथा अर्थदंड का भुगतान न करने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने

का आदेश दिया। तथापि, भा.दं.सं. की धारा 363 के अंतर्गत पृथक से कोई दंडादेश पारित नहीं किया गया।

अभियोजन का प्रकरण यह है कि अभियोक्त्री कु. लता साहू (अ.सा.-3), जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी, अपने माता-पिता के साथ ग्राम बोराई में रहती थी। वह कक्षा 7वीं की छात्रा थी। अपीलार्थी एक ट्रक चालक था, जो उसके गांव में आता-जाता रहता था। अभियोक्त्री का अपीलार्थी से संपर्क हुआ और दिनांक 15.12.2001 की मध्यरात्रि में वह अपने माता-पिता के संरक्षण से निकलकर अपीलार्थी के साथ चली गई तथा उसके ट्रक से रायपुर पहुंची। वहां अपीलार्थी ने उसे किराए के मकान में अपनी पत्नी के रूप में रखा।

कुछ दिनों बाद अपीलार्थी उसे ग्राम लालपुर अपने मामा के घर ले गया, जहां मामा ने उन्हें आश्रय देने से मना कर दिया और गांव के कोटवार को बुला लिया। कोटवार उन्हें थाना साजा ले गया, जहां से उन्हें थाना पुलगांव लाया गया। इस बीच अभियोक्त्री के भाई द्वारा उक्त थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी, जिसे रोज़नामचा सान्हा दिनांक 17.12.2001 में दर्ज किया गया था। उक्त शिकायत के आधार पर, बरामदगी के पश्चात प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी./6) दर्ज की गई और विवेचना प्रारंभ की गई। अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया, जहां डॉ. (श्रीमती) श्यामली राय (अ.सा.-9) द्वारा उसका परीक्षण किया गया तथा उन्होंने अपना प्रतिवेदन (प्र.पी./11) तैयार की। उन्होंने चिकित्सकीय रूप से अभियोक्त्री की आयु 13-15 वर्ष के बीच आंकी और मामले को रेडियोलॉजिकल परीक्षण हेतु संदर्भित किया, जो डॉ. ए.के. साहू (अ.सा.-6) द्वारा किया गया। उनका प्रतिवेदन (प्र.पी./4) के अनुसार लता की आयु लगभग 15 वर्ष पाई गई।

इसके अतिरिक्त, विद्यालय प्रवेश पंजी भी जब्त किया गया। उक्त रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार लड़की की जन्मतिथि 14.07.1988 थी, जिसके आधार पर घटना के समय उसकी आयु लगभग 13½ वर्ष होती है। अभियोक्त्री ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी के साथ उसने लगभग एक माह आठ दिन के निवास के दौरान उसके साथ यौन संबंध

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्थापित किए गए। अतः माता, पिता एवं अन्य साक्षियों के कथन दर्ज करने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण पूर्ण होने के पश्चात सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर पूर्वोक्त अनुसार दंडित किया।

अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभियोक्त्री की आयु से संबंधित साक्ष्य पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु लगभग 15 वर्ष थी, अतः उसके ऐसे आचरण के बावजूद अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की उक्त धाराओं के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

आयु के संबंध में माता एवं पिता के साक्ष्य दर्ज किए गए हैं। कमलाबाई (अ.सा.-1), जो अभियोक्त्री की माता है, ने कंडिका 1 में कहा है कि उसकी पुत्री की आयु 13-14 वर्ष के बीच थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान, कंडिका 3 में उसने कहा कि वह निरक्षर है और अपने बच्चों की जन्मतिथि नहीं बता सकती। उसने यह भी कहा कि जन्म के समय उसने कोटवार को जन्मतिथि बता दी थी। उसने यह भी कथन दिया कि इस मामले में पुलिस ने उसका कथन दर्ज नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसके पश्चात पिता रामाधन (अ.सा.-2) का साक्ष्य है। उन्होंने भी कंडिका 1 में कहा कि लता की आयु लगभग 14 वर्ष थी। किंतु उन्होंने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें अपने किसी भी बच्चे की जन्मतिथि ज्ञात नहीं है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मुख्य परीक्षण में बताई गई लड़की की आयु केवल अनुमान के आधार पर थी।

उपर्युक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त, प्रधानाध्यापक (अ.सा.-4) ने विद्यालय प्रवेश पंजी (प्र.पी./3) की प्रति प्रमाणित की है। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि प्रवेश पंजी में की गई प्रविष्टि किसी स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर की गई थी। अर्थात् उक्त प्रविष्टि अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र के आधार पर नहीं की गई थी, क्योंकि लड़की को दिनांक 03.07.2000 को कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया गया था

तथा वह दिनांक 09.01.2002 को कक्षा 7वीं में अध्ययनरत रहते हुए संस्था छोड़ गई थी। अतः यह कहा जा सकता है कि की गई प्रविष्टि का वास्तविक आधार कोई प्रत्यक्ष घोषणा नहीं था, बल्कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह किसी पूर्व स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पर की गई थी, जो संभवतः विद्यालय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया होगा, जिसमें बालिका की जन्मतिथि 14.07.1988 अंकित रही होगी। किन्तु उक्त दस्तावेजों को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे इस पंजी में की गई प्रविष्टि का समर्थन या प्रमाणीकरण हो सके। केवल पंजी की प्रति ही प्रस्तुत की गई है, जिसे अ.सा.-4 के साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है।

अन्य साक्ष्य के रूप में डॉ. ए.के. साहू (अ.सा.-6) द्वारा तैयार की गई अस्थि-परीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी./4) है। उनके अनुसार दिनांक 22.01.2002 को अभियोक्त्री की आयु लगभग 15 वर्ष थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि इन साक्ष्यों का मूल्यांकन अभियोक्त्री की आयु निर्धारण के लिए किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि माता-पिता सही जन्मतिथि बताने में सक्षम नहीं रहे। उन्होंने केवल यह कहा कि उनकी पुत्री की आयु लगभग 14 वर्ष थी और प्रतिपरीक्षण में दोनों ने यह स्वीकार किया कि वे अपनी पुत्री की जन्मतिथि नहीं बता सकते। पिता ने विशेष रूप से यह भी कहा कि उन्होंने 14 वर्ष की आयु का उल्लेख केवल अनुमान के आधार पर किया था। माता के संबंध में भी स्थिति समान है, बल्कि उसने यह भी जोड़ा है कि इस प्रकरण में पुलिस ने उसका कथन दर्ज ही नहीं किया। अतः इस साक्ष्य का समग्र परिणाम यह है कि माता-पिता अपनी पुत्री की सही आयु बताने में असमर्थ हैं और उन्होंने लगभग 14 वर्ष की आयु केवल अनुमान के आधार पर बताई है, जिस पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

जहां तक विद्यालय पंजी की प्रविष्टियों का संबंध है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, उन प्रविष्टियों का आधार अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः ऐसी प्रविष्टियों का विशेष महत्व नहीं माना जा सकता। इस संबंध में मेरे विचार उमेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य (एआईआर 1982 एससी 1057) और रौनक सराव बनाम राज्य

(एआईआर 1970 पंजाब और हरियाणा 450) (कंडिका 15) में दिए गए निर्णयों से समर्थित हैं, जिनमें यह कहा गया है कि जब तक यह प्रमाणित न हो कि विद्यालय पंजी की प्रविष्टि किस सामग्री और किसके कहने पर की गई है, तब तक उसका अधिक मूल्य नहीं है। वर्तमान मामले में अभियोजन इस प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, इसलिए इन प्रविष्टियों पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। अस्थि-परीक्षण के संबंध में, *मोदी का न्यायशास्त्र* (20वां संस्करण) में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई एपिफाइसिस के प्रकट होने एवं जुड़ने की आयु संबंधी तालिकाओं पर अत्यधिक निर्भरता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वे केवल औसत आयु को दर्शाती हैं और विकास की भिन्नताओं के कारण, यहां तक कि एक ही प्रदेश के व्यक्तियों में भी, इसमें अंतर हो सकता है। आगे यह भी कहा गया है कि हाल के अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि इस प्रकार के निर्धारण में त्रुटि की सीमा दोनों ओर लगभग 3 वर्ष तक हो सकती है। डॉ. ए.के. साहू (अ.सा.-6) ने भी *मोदी का न्यायशास्त्र* में व्यक्त इस मत से सहमति जताई है और कंडिका 3 में यह स्वीकार किया है कि इस प्रकार के आयु निर्धारण में 3 वर्ष तक का अंतर संभव है। अतः यदि रेडियोलॉजिस्ट द्वारा निर्धारित आयु में सकारात्मक पक्ष में 3 वर्ष जोड़े जाएं, तो अभियोक्त्री की आयु लगभग 18 वर्ष तक हो सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः उपर्युक्त समस्त साक्ष्यों के, जो आयु से संबंधित हैं, सम्यक् मूल्यांकन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन यह सिद्ध कर पाया है कि घटना की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी। तथापि, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि उसकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच थी।

अतः अभियोक्त्री की आयु एवं उसके आचरण से संबंधित साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता है और अपीलार्थी उक्त धारा के आरोप से दोषमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। उसे धारा 376 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। तथापि, धारा 363 एवं 366 के अंतर्गत दी गई उसकी दोषसिद्धि एवं दंडादेश यथावत् बनाए रखे जाते हैं।

अपील उपर्युक्त सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**